निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39 / 2025
दायरा दिनांकः–02.06.2025
निर्णय दिनांकः– 28.7.25

उनवान

1. गौरव शर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र गोपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 28.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नं 1016 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, खसरा नं 372 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं 611 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं 613 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नं 614 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं 70 रकबा 0. 6828 हैक्टेयर, खसरा नं 76 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा नं 781 रकबा 0.8093 हैक्टेयर, खसरा नं 841 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं 842 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं 861 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, खसरा नं 879 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, खसरा नं 880 रकबा 1. 0495 हैक्टेयर, खसरा नं 881 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नं 882 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं 899 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं 976 रकबा 0.4932 हैक्टेयर खसरा नं 977 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 18 की रकबा 6.4995 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के शामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त में अवस्थित चली आ रही है। प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पिता के मृत्यु उपरात फौती नामातंरण से खातेदारी में आयी है हल्का पटवारी गोडियामेहर द्वारा प्रार्थी के पिता गोपाल का फौती नामांतरण खोलते समय प्रार्थी के नाम गौरव शर्मा पुत्र गोपाल० के स्थान पर रानू पुत्र गोपाल० दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में आधार कार्ड, वॉटर आई.डी. एवं बैक डायरी में गौरव शर्मा नाम अंकित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जो सही है। वक्त फौती इंतकाल खोलते समय हल्का पटवारी गोडियामेहर द्वारा प्रार्थी के नाम में त्रुटि हुई है यह लापरवाही राजस्व कर्मचारियों द्वारा हुई है जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं प्रार्थी को कई राजकीय योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी के पिता का फौती नामांतरण में दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम संहवन से रेवेन्यु कर्मचारी द्वारा एवं हल्का पटवारी गोडियामेहर द्वारा गौरव पुत्र गोपाल के स्थान पर रानू पुत्र गोपाल दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसे न्यायहित में गौरव पुत्र गोपाल करना अतिआवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड जमबान्दी में प्रार्थी का नाम गलत होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं पी.एम. किसान योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा सम्वत् 2073–73 खाता संख्या 150 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र फोटो प्रति बैक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पिता की मृत्यु उपरान्त फोती नामान्तरण से खातेदारी में आयी है प्रार्थी के पिता गोपाल का फोती नामान्तरण खोलते समय प्रार्थी का नाम गौरव शर्मा पुत्र गोपाल के स्थान पर रानू पुत्र गोपाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम गोरव शर्मा पुत्र गोपाल है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में गौरव शर्मा अंकित है फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से गलती होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रानू पुत्र गोपाल के स्थान पर गौरव शर्मा पुत्र गोपाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गोडियामेहर की भूमि खाता संख्या 150 के कुल खसरा नम्बर 18 किता रकबा 6.4996 है0 में वर्तमान जमाबन्दी क्रम संख्या 17 पर रानू पुत्र गोपाल हिस्सा 1/96 जाति ब्राहम्ण दर्ज है वादी का नाम रानू नामान्तरण संख्या 882 दिनांक 25.12.2010 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में नाम रानू पुत्र गोपाल दर्ज चला आ रहा है प्रार्थी का नाम अन्य समस्त दस्तावेजों में गौरव शर्मा पुत्र गोपाल दर्ज है खाता संख्या 150 के सहखातेदारान एवं मौके पर उपस्थित मौतवीरान से जानकारी पर पाया गया कि वादी को गावं में रानू एवं गौरव दोनो नामों से जाना जाता है उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर रानू के स्थान पर गौरव करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 150 में रानू पुत्र गोपाल हिस्सा 1/96 जाति ब्राहम्ण दर्ज है प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार कार्ड, पहचान पत्र बैंक पास बुक में गौरव शर्मा पुत्र गोपाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम गौरव शर्मा पुत्र गोपाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का रानू पुत्र गोपाल गलत दर्ज कर दिया है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का नाम गौरव शर्मा बताया है प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय प्रार्थी का नाम नामान्तरण में रानू दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम गौरव शर्मा होना बताया है तथा रानू के स्थान पर गौरव शर्मा दर्ज करने की अनुशषा तहसीलदार छबडा द्वारा की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>:: क्रियात्मक आदेश ::</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के खाता संख्या 150 के कुल खसरा नम्बर 18 किता रकबा 6.4995 है0 में प्रार्थी का नाम रानू पुत्र गोपाल के स्थान पर रानू उर्फ गौरव पुत्र गोपाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)